आज ही / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–डब्ल्यू– 04 /पॉच–4–2023

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
   उ0प्र0लखनऊ।
2. महानिदेशक,
   परिवार कल्याण,
   उ0प्र0लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–4 **लखनऊः दिनांकः 04 जनवरी,2023**

विषयः मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के विभागीय नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुश्रवण प्रकोष्ठ,न्याय विभाग के पत्र संख्या–02 / सात–न्याय अनु0प्रको0 / 2023, दिनांक 02.01.2023(प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए विभाग की ओर से विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के नामित नोडल अधिकारियों के नाम / पदनाम / मोबाइल नं0 / ई–मेल आई0डी0 प्रत्येक दशा में दिनांक 04.01.2023 तक अपने विभाग के वेबसाइट पर अद्यतन कराने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर श्री वेद प्रकाश शर्मा,विशेष सचिव (प्रति संलग्न) को विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कृपया अपने विभाग में नोडल अधिकारी नामित करते हुए विभाग एवं शासन स्तर पर नामित नोडल अधिकारी का नाम विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन कराते हुए उसकी सूचना सीधे मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ खण्डपीठ को देते हुए न्याय विभाग को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

संख्या–डब्ल्यू– 04 (1) / पॉच–4–2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अनुश्रवण प्रकोष्ठ,न्याय विभाग को उनके पत्र संख्या–02 / सात–न्याय अनु0प्रको0 / 2023,दिनांक 02.01.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

writ-go-vl

81(C)/PSMH/22

आज ही/परमावश्यक

संख्या- 02 /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2023

आज प्राप्त 10:45 Am

सचिव - (R)

VS (sachiv) nodal officer

(पार्थ सारथी सेन शर्मा) 4-1-23

प्रमुख सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2023

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के विभागीय नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव,उ0प्र0 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-06/2022/423/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022-1/2008, दिनांक 08-07-2022 के प्रस्तर-4(1) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " मा0 न्यायालय में शासन/राज्य सरकार के विरूद्ध दाखिल वादों में प्रभावी पैरवी करने/ त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक विभाग अनिवार्यत: अपने स्तर से विभागीय नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो **कि विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो।**"

2- उक्त के क्रम में दिनांक 22-12-2022 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में भी यह बात कही गयी कि प्रत्येक विभाग द्वारा विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के नोडल अधिकारियों को नामित किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। परन्तु विभागों द्वारा नामित किये नोडल अधिकारियों की सूचना अभी तक न्याय विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 08-07-2022 का अक्षरश: अनुपालन नहीं हुआ है।

3- अत: उक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए अपने विभाग की ओर से **विशेष सचिव से अनिम्न स्तर** के नामित नोडल अधिकारियों के नाम/पदनाम/मोबाइल नं0/ई-मेल आई0डी0 **प्रत्येक दशा में** कल दिनांक 04-01-2023 तक अपने विभाग के वेबसाइट पर अद्यतन करते हुए उसकी सूचना मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ को देते हुए न्याय विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II)

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या– 02(1) /सात-न्याय अनु0प्रको0/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उत्कर्ष सिंह)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

आज प्राप्त 2:30 बजे

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–4
संख्या–शा0–462 / पांच–4–2022
लखनऊ : दिनांकः 10 अगस्त,2022

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण एवं उ0प्र0राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों / प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु चिकित्सा अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–468 / पॉच–4–2022, दिनांक 09.03.2022 द्वारा श्री राम नगीना मौर्य, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। श्री राम नगीना मौर्य का स्थानान्तरण सतर्कता विभाग में हो जाने के कारण उक्त कार्य हेतु श्री वेद प्रकाश शर्मा, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को एतदद्वारा विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2– श्री वेद प्रकाश शर्मा, विशेष सचिव का कार्यालय लाल बहादुर शास्त्री भवन, चतुर्थ तल स्थित कक्ष संख्या–421 में स्थित है तथा कार्यालय दूरभाष संख्या–0522–2239368, मोबाइल नं0–9454411223 व ई–मेल आई0डी0–ved.11223@gov.in है।

(राजेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

संख्या–शा0–462 (1) / पॉच–4–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारी,चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग,उ0प्र0शासन।
4– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,उ0प्र0 तथा महानिदेशक,परिवार कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।